# न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

**राजस्व अपील सं. :— 29/2024**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| श्रीमति शान्ति पत्नी पूनाराम , जाति जाट, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, फलौदी, तहसील फलौदी, जिला फलौदी | | राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलौदी |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश दिनांक 07.07.2023 को श्रीमान तहसीलदार लोहावट द्वारा मुकदमा नंबर 57/2023 बअनवान सरकार बनाम राजेन्द्र पुरी में पारित किया गया।**

**उपस्थित वकील —:**

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री रेवत सिंह पातावत।

रेस्पोडेण्ट्स की ओर सेः— तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

**निर्णय** दिनांकः— 30/9/2024

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 में दर्ज तहसीलदार लोहावट के प्रार्थना पत्र संख्या 16/2016 निर्णय दिनांक 16.09.2016 के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि अपीलांट के विरूद्व संवत 2073 में मौजा फलौदी के खसरा नम्बर 19 की रकबा 24 बीघा भूमि में 3 बीघा में कपास व शेष खाली बुआई मय तारबंदी कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने की हल्का पटवारी द्वारा उपनिवेशन की धारा 22 के तहत दिनांक 16.08.2016 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी में रिपोर्ट पेश की गई। जिसे पर अधीनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 16/2016 दर्ज कर कार्यवाही बाद अपीलार्थी को दो माह के सिविल कारावास व 180/— रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांट ने अपील की मियाद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

जिला कलक्टर फलौदी

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री राजेश पुरोहित के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार फलौदी से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

Apr 1, 2024, 08:28

Scanned with OKEN Scanner

4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि आचौल्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल द्वेष भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति विशेष के दबाब में आकर अपीलार्थी को बिना सुने, मनमर्जी से एक तरफा निर्णय किया गया है। दिनांक 16.08.2016 से 16.09.2016 तक की आदेश तालिका देखने से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया है जिसमें अपीलांट को पश्चात्वती अतिक्रमी घोषित किया गया है जबकि पूर्व में अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपीलांट द्वारा अपील माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गई थी। जिसके विचाराधीन रहते अपीलांट के विरूद्व द्वेषपूर्ण ढंग से निर्णय किया गया है। पूर्व निर्णय दिनांक 16.09.2016 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी द्वारा 16.09.2016 को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 19 की पैमाईश कर सीमा ज्ञान नहीं करवाया जाकर मनमाना आदेश पारित किया गया है, जबकि अपीलांट अपने परिवार सहित उक्त खसरा में निवास करती आ रहीं है। अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के सिद्वातों से विपरित द्वेष पूर्ण भावना से प्रेरित होकर निर्णय पारित कर अपीलांट को दण्डित किया है। जो निर्णय अपास्त योग्य होने से अपास्त फरमाया जावे।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलौदी से अपीलांट द्वारा ली गई मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का फलौदी द्वारा 16.08.2016 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैकि खसरा नंबर 19 कुल रकबा 24 बीघा में से 3 बीघा भूमि पर संवत 2073 में अपीलांट श्रीमति शान्ति पत्नी पूनाराम, जाति जाट, निवासी इन्द्रा कॉलोनी फलौदी, तहसील फलौदी द्वारा तारबंदी का कब्जा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि अतिक्रमी पश्चातवर्ती है। पटवारी की रिपोर्ट को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रकरण प्रस्तुत होने पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा संबधित को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की पालना में अपीलांट की ओर से वकालातनामा प्रस्तुत कर जबाब पेश किया गया है। जबाब में यह अंकित किया है कि प्रार्थीनी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने गलत आधार पर रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है। इस पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से पुनः रिपोर्ट तलब की है। पुनः रिपोर्ट प्राप्त करने एवं बयान लिए जाने के बाद दिनांक 16.09.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व समुचित अवसर प्रदान किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया यह आधार गलत व तथ्यहीन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा कोई सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया है।

7. अपीलांट द्वारा अपील का अन्य आधार यह प्रस्तुत किया है कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.20216 की अपील न्यायालय में विचाराधीन थी। अपील विचाराधीन रहते हुए पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमण की कार्यवाही द्वेषपूर्ण तरीके से की गई है। इस संबध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य प्रकट नहीं किया है कि तहसीलदार न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित आदेश के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में कोई अपील विचाराधीन थी। अपीलांट द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने के पश्चात राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रतण के विरूद्व कार्यवाही करने में अधीनस्थ न्यायालय सक्षम था।

8. अतः उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया है एवं समुचित विधिक प्रक्रिया अपनाकर विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है।
अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाने का कोई आधार न्यायालय नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील को खारिज किया जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।
अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड शीघ्र लौटाया जावे।
निर्णय आज दिनांक 30.12.24 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी

Apr 1, 2024, 08:28

Scanned with OKEN Scanner